

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16 द्वारा 1200000.00 (बारह लाख) एवं पत्रांक-44/आ0प्र0, दिनांक 12.09.2016 द्वारा मो0-5200000.00 (बावन लाख) रूपये का आवंटन वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत-उपशीर्ष-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड-एन2245021010003 मद में कुल 6400000.00 (चौंसठ लाख) रूपये प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक-793/आ0प्र0, दिनांक 09.08.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 1079, दिनांक 17.09.2016 तथा आदेश ज्ञापांक-1193/आ0प्र0, दिनांक 15.10.2016 द्वारा उपावटित किया जा चुका है।

पुनः उक्त शीर्ष में संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-60, दिनांक 26.10.2016 द्वारा उक्त मद में 120.00 (एक करोड़ बीस लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष-2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39

लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत,

उप शीर्ष-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।

विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान

क्र०	अंचलाधिकारी का नाम	मद का नाम		
		पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	400000.00	—	400000.00
2	अंचलाधिकारी, बाढ़	400000.00	—	400000.00
3	अंचलाधिकारी, पटना सदर	1200000.00	—	1200000.00
4	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	400000.00	—	400000.00
5	अंचलाधिकारी, फतुहॉ	2000000.00	2400000.00	4400000.00
6	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	400000.00	—	400000.00
7	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	400000.00	800000.00	1200000.00
8	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	400000.00	—	400000.00
9	अंचलाधिकारी, बिहटा	400000.00	—	400000.00
10	अंचलाधिकारी, मोकामा	400000.00	400000.00	800000.00
11	अंचलाधिकारी, पुनपुन	—	1200000.00	1200000.00
12	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी	—	2000000.00	2000000.00
13	अंचलाधिकारी, धनरुआ	—	1600000.00	1600000.00
14	अंचलाधिकारी, दुल्हन बाजार	—	800000.00	800000.00
15	अंचलाधिकारी, बिक्रम	—	400000.00	400000.00
16	अंचलाधिकारी, घोषवरी	—	1200000.00	1200000.00
17	अंचलाधिकारी, बेलछी	—	1200000.00	1200000.00
	कुल योग	6400000.00	12000000.00	18400000.00

- (1) यह आवंटन बाढ़ 2016 के पानी से हुई मृत्यु के एवज में मृतक के निकटतम आश्रित को भुगतान की गई राशि के समायोजन हेतु उपावटित किया जा रहा है। इसके पूर्व के मृतक को इस राशि से भुगतान नहीं किया जाना है।

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)

फैक्स न०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.blh@nic.in

- (2) इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0003-संतप्त परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं की जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (6) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (7) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (8) इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561(वि0)(2), दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।
- (9) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
अनुलग्नक-मूल आवंटन पत्र की प्रति।




जिला पदाधिकारी,

पटना।

ज्ञापांक.....1287...../आ0प्र0, दिनांक.....02/11/2016.....

- प्रतिलिपि:- संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मोकामा, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़ एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, एवं पत्रांक-44/आ0प्र0, दिनांक 12.09.2016 तथा पत्रांक-60/आ0प्र0, दिनांक, 26.10.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



जिला पदाधिकारी,

पटना।



पत्र संख्या- 1/प्र0आ0-0-3-20/16...../आ0प्र0

जिला आपदा प्रबंधन विभाग

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, PATNA

27 OCT 2016

CONFIDENTIAL SECTION

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार ५१०३०३०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालंदा/सहरसा/मुंगेर/गया/बेगूसराय/पटना/जहानाबाद/वैशाली।

पटना-15, दिनांक-26/10/16

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड-N2245021010003 के अन्तर्गत कुल ₹ 268.00 लाख (दो करोड़ अड़सठ लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान मद के अंतर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक - ब-16/ वी0सी0एफ0-55 /2016/50 सी0एफ0 दिनांक -09.09.16 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3421/आ0प्र0 दिनांक 09.09.16 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3 आर्वाटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101 आनुग्रहिक राहत।

मॉग संख्या-39

उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।

यूनिट कोड- 31 02 अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

जिला	पत्रांक की संख्या	अधिव्ययित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2016-17)	सर्वसाध आवंटन (वित्तीय वर्ष 2016-17)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2016-17)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	नालंदा	7	28.00 (अठारस लाख)	28.00 (अठारस लाख)	56.00 (छपन लाख)
2	सहरसा	2	8.00 (बौंस लाख)	8.00 (आठ लाख)	28.00 (अठारस लाख)
3	मुंगेर	1	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)
4	गया	8	32.00 (चार लाख)	4.00 (चालीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)
5	बेगूसराय	1	4.00 (अड़सठ लाख)	4.00 (चार लाख)	72.00 (बड़तर लाख)
6	पटना	30	120.00 (बावन्स लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	212.00 (दो करोड़ बारह लाख)
7	जहानाबाद	5	20.00 (चार लाख)	20.00 (बीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)
8	वैशाली	18	52.00 (बावन लाख)	52.00 (बावन लाख)	104.00 (एक करोड़ चार लाख)
कुल योग		67	268.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख)	268.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख)	536.00 (पाँच करोड़ छत्तीस लाख)

4. यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 041 दिनांक 20.09.16, 1126 दिनांक 14.10.16 एवं 1135 दिनांक 18.10.16 / सहरसा के पत्रांक 542-2 दिनांक 29.09.16/ मुंगेर के पत्रांक 580 दिनांक 26.09.16/ गया के पत्रांक 3065 दिनांक 13.10.16/ बेगूसराय के पत्रांक 810 दिनांक 04.10.16/ पटना के पत्रांक 1080 दिनांक 17.09.16/जहानाबाद के पत्रांक 1840 दिनांक 17.09.16/ वैशाली के पत्रांक 909 दिनांक 01.10.16 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध मात्र उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आर्वाटित राशि का व्यय विभागीय भान्दर के आलोक में उभी मद में किया जाय जिस मद को लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

मुख्यशीर्ष- 2246-02-101-0003-सहायक अधिकारियों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान. पत्रांक- 60 दिनांक- 26/10/16

7 आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजने हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रतः शीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा कर दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्त वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फेक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना निश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिवार्य रूप से)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना/ मैकिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को सूचनाथ प्रेषित।

ज्ञापक- 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनाथ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापक- 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनाथ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापक- 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनाथ प्रेषित।

ज्ञापक- 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सचिवकी/ पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0सी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपतकालीन संचालक केन्द्र को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।